



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2188]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 21, 2014/आश्विन 29, 1936

No. 2188]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2014/ASVINA 29, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2014

का.आ. 2739(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों और स्थायी पुलों के उपयोग के लिए शुल्क-सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 के नियम 3, 5, 11 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1123(अ), तारीख 9 मई, 2008 द्वारा मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), कर्नाटक, लोक निर्माण विभाग या उसे प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-63 पर अंकोला-गूटी सेक्शन पर 358.000 कि.मी. पर परमदेवनहल्ली में हगड़ी नदी पर बने पुल के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया था।

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड और स्थायी पुल-सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं, नियम, 1997 के नियम 3, 5, 11 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 1123(अ), तारीख 9 मई, 2008 को एतद्वारा विखंडित करती है क्योंकि प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण के माध्यम से प्राप्त मासिक राजस्व प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण पर हुए मासिक खर्च से कम होगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ /2014-15/हगड़ी ब्रिज]
अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2014

S.O. 2739(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3, 5, 11 of the National Highways Fee (Fee for the use of National Highways, Sections and Permanent Bridge—Public Funded Projects) Rules, 1997, the Central Government by notification number S.O. 1123(E), dated 9th May, 2008 of the Government of India had authorized Chief Engineer (National Highways), Karnataka, Public Works Department to collect fee on mechanical vehicles for the use of the Bridge across Hagari River at Paramadevanahalli at km 358.000 on Ankola-Gooty section of NH-63 in the State of Karnataka.

Now, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rules 3, 5, 11 of the National Highways Fee (Fee for the use of National Highways, Sections and Permanent Bridge—Public Funded Projects) Rules 1997, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O. 1123(E), dated 9th May, 2008 as the collection of user fee would not be viable as the monthly revenue through user fee collection would be less than monthly expenditure for collection of user fee.

[F. No. NHAI/13013/CO/2014-15/Hagari Bridge]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.